न्यायालय ...नरी अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

(71)

COURT FEE १० INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE १० INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R 1387-III/2006

1- गेंदलाल तनय कैमला प्रसाद नाई उम्र- 40 साल

2- मुनिराज तनय कैमला प्रसाद नाई उम्र- 32 साल,

3- धीरधर तनय कैमला प्रसाद नाई उम्र- 22 साल

4- सिद्धमुनि तनय चन्द्रभान नाई

सभी निवासी ग्राम भलुहा तहसील मऊगंज जिला रीवा म०प्र०----आवेदकगण

बनाम

1- मथुरा प्रसाद तनय रामशरण पटेल निवासी ग्राम भलुहा (नईगढी) तहसील मऊगंज जिला-रीवा म०प्र०

2- रामावतार पटेल तनय भगवती प्रसाद पटेल साकिन भलुहा तहसील- मऊगंज जिला रीवा म०प्र० (मृतक) वारिस-

2(अ) तेजभान पटेल तनय रामावतार पटेल निवासी ग्राम भलुहा (नईगढी) तहसील मऊगंज जिला रीवा म०प्र०

---- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 748/अपील/01-02 आदेश दिनांक 1.8.06

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू रा० संहिता 1959 ई०.

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पाडेन्ट क्रमांक- 2 के मृत्यु की जानकारी होने पर उसके वारिसों को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पत्र आदेश- 22 नियम- 4 जा०दी० का प्रस्तुत किया था उसको अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त

क्रमशः 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1387–तीन/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 748/अपील/01–02 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अधीनस्थ न्ययालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा में अनावेदक क्र0 2 की मृत्यु की जानकारी होने पर उसके वारिसों को पक्षकार बनाने के लिये आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने निरस्त किया है तथा आवेदक द्वारा पुनः आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2006 को निरस्त कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 01.08.2006 के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दायर करने के उपरांत आवेदक तथा अनावेदक क्र0 2 दोनों ही जीवनकोपार्जन के लिये बाहर रहते थे । अधिवक्ता के द्वारा फोन पर प्ररकण की जानकारी मिल जाया करती थी, किन्तु अनावेदक क्र0	

2 की मृत्यु की जानकारी आवेदक को नहीं हो पायी । आवेदक अपने गांव पहूँचा तो दिनांक 10.11.2005 को अनावेदक क्र0 2 के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई, तब दिनांक 11.11.2005 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विचार न करते हुये आवेदन निरस्त कर दिया । आवेदक के द्वारा आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन का गलत अर्थ लगाकर आवेदन पत्र को निरस्त किया है । जबकि आदेश 22 नियम 9 में जाप्ता दीवानी में स्पष्ट उल्लेख है कि उपसमन को अपास्त कराने के लिये समुचित कारण का निर्वचन सारवान न्याय करने के प्रयोजन से करना चाहिये और उपसमन निरस्त करना चाहिये। आवेदक द्वारा समुचित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे । अनावेदक क्र0 2 की मृत्यु की जानकारी आवेदक को न होने के कारण प्रकरण में उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय ने गुण–दोषों के बिना ही प्रकरण का निराकरण किया गया । आवेदक के अभिभाषक ने तर्क में यह भी कहा है कि आवेदक द्वारा भूमि नं0 455/1 रकबा 0.16 ए0 उग्रसेन पटेल साकिन भलुहा से क्रय किया है, जिस पर कब्जा दखल आवेदक का चला आ रहा है । उक्त क्रय की गई भूमि के अलावा अन्य कोई भी भूमि आवेदक के पास नहीं है जबकि अनावेदक क्र0 2 साधारण पक्षकार था, असली विवाद अनावेदक क्र0 1 से है । जिस अनावेदक से प्रकरण का कोई हित नहीं है तो पूरी निगरानी उपसमित नहीं की जा सकती है जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए0आई0आर/996 एस0सी0/623 एवं

एम0पी0 एल0जे0 1997 नो नं0 19 रूस्तम बनाम प्रकाश में म0प्र0 उच्च न्यायालय में उल्लेख किया है । यह निगरानी अन्दरम्याद है । अतः निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 के आवेदन पत्र में वही बाते दोहराई गई है जो आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 एवं विलंब माफी के आवेदन पत्र में कही गई है । चूँकि अपर आयुक्त रीवा के द्वारा आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के आवेदन पत्र में आदेश दिनांक 01.08.2006 को पारित किया जा चुका है । जिसमें अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का आवेदन पत्र निराधार मानते हुये निरस्त किया है ।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया है, और पक्षकार बनाये बिना एवं आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है।

7/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण निर्देशों के साथ अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे।

(के0सी0 जैन)
सदस्य